न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/51
दायरा तिथि : 09.02.2022
फैसला तिथि : 24-01-2023

वादी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कन्या पत्नि वागाराम जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
2. नारायणलाल पुत्र नथाजी जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
3. प्रकाशचन्द पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
4. भगाराम पुत्र नेमा जाति मेघवाल निवासी सेवाडी फौत के कायम मुकामः
   4/1 हिम्मतमल पुत्र भगाराम
   4/2 गुलाबी पत्नि भगाराम जातिगण मेघवाल निवासी सेवाडी
5. मनोजकुमार पुत्र अनन्त प्रकाश जाति श्रीमाली ब्राहमण निवासी सेवाडी
6. मनोहरलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी सेवाडी के कायम मुकामः
   6/1 ललित पुत्र मनोहरलाल
   6/2 हर्षा पत्नि मनोहरलाल
   6/3 सीमा पुत्री मनोहरलाल जातिगण मेघवाल निवासी सेवाडी
7. मोहनलाल पुत्र रूपाराम जात मेघवाल निवासी सेवाडी
8. रतनकुमार भाटी पुत्र चेनाराम भाटी जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
9. समरथा पुत्र दुदा जाति मेघवाल निवासी सेवाडी के कायम मुकामः
   फुलचन्द पुत्र समरथा जाति मेघवाल
10. सुशीला पत्नि चतराराम जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
    तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा..... अभिभषक अप्रार्थी सं0 04 के कामु. व 9 के कामु. की ओर से
2. श्री नेकाराम चौधरी ..... अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01, 02, 03,6 के कामु. व 8, 10 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 24-01-2023

प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् पाया कि ग्राम सेवाडी तहसील बाली में स्थित राजस्व कृषि भूमि खसरा नंबर 1112 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल का बिना आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराये मौके पर मकान बनाकर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थी खातेदारान् का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार, बाली के आवेदन पर दिनांक 09.02.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रकरण संस्थापित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 04, 06, 09 के नौटिस फौत होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये । न्यायालय के नोटिस तामील होने पर दिनांक 06.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 07, 08, 10 एवं 06 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी द्वारा वकालतनामो के साथ जवाब पेश किया। जवाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 10 की भूमि वर्ष 2002 व 2008 में सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार, बाली द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किये जाने के आदेशाो की प्रतियॉ पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 04 व 09 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेव सोनीगरा ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण को अप्रार्थीगण की ओर से कन्टेस्ट करने से आगे की कार्यवाही वाद के बतौर किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 09 के कायम मुकाम के अधिवक्ता को जवाब के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 की तलबी नहीं हुई, परन्तु प्रकरण संया 2022/53 बअनवान तहसीलदार, बाली बनाम कन्चनदेवी में जाहिर हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 05 मनोजकुमार पुत्र अनन्त प्रकाश द्वारा भूमि का बेचान तीसरे पक्षो को किया जा चुका है, जिससे खरिदकर्ता प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/51

अनवान् राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली बनाम कन्या वगैरा

अंतर्गत धारा प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा दलील दी गई कि प्रकरण प्रस्तुती के समय अधिकांश खरिदकर्ताओ यथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 10 के पास प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार, बाली के संपरिवर्तन आदेश होने के बावजुद भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त प्रकरण पेश किया गया है, जिससे उक्त प्रकरण में **वाद हेतूक उत्पन्न ही नहीं** होता है, इसके साथ ही खातेदार मनोजकुमार द्वारा जब अपनी भूमि का बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेजो के माध्यम से अन्य व्यक्तियो को कर दिया तथा कब्जा खरिदकर्ताओ को दे दिया गया, तब मनोजकुमार का कोई हित न होते हुये उसे तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया तथा खरिदकर्ता जो कि आवश्यक हितबद्ध पक्षकार थे, उन्हे पक्षकार ही बनाया गया है, जिससे **पक्षकारो के असंयोजन की वजह से भी प्रकरण चलने योग्य नहीं होने** खारिज किये जाने की दलील दी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि राजस्व रेकर्ड में भूमि कृषि भूमि के तौर पर अंकन होने तथा मौके पर पक्षकारो द्वारा मकानात बना देने से पटवारी हल्का, सेवाडी की जांच के आधार पर वर्णित भूमि सेवाडी के खसरा नंबर 1112 रकबा 0.41 हैक्टर के सबंध में प्रकरण धारा 177 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। बहस में वादी पैरोकार सरकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 10 द्वारा धारित भूखण्डो के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के **संपरिवर्तन आदेश का खण्डन नहीं** किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 02.02.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि वर्णित भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 1112 मेंसे वादी तहसीलदार स्वयं के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 10 के द्वारा धारित भूखण्डो को वर्ष 2002 व वर्ष 2008 में **संपरिवर्तन किया जा चुका** था। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि खातेदार मनोजकुमार द्वारा अपनी भूमि का बेचान कर देने से खरिदकर्ता प्रकरण में आवश्ययक पक्षकार थे, जिन्हे भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण में **वाद हेतूक उत्पन्न नहीं होने** व पक्षकारो के असंयोजन की वजह से वादी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 24-1-23 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली,जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner